राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ6( )/कम्प्यूटर/पोस पार्ट–1/2018–19 दिनांक 09.11.2020

जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान।

विषय :–'वन नेशन वन राशन कार्ड' के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ 6( )/कम्प्यूटर/पोस पार्ट–1/2018–19 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा सभी जिला कलक्टर्स से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' कार्यक्रम के तहत् बीएलओ के माध्यम से मोबाइल एप के द्वारा आधार कार्ड की सिडिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया था, इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि अब यह कार्य माह नवम्बर, 2020 में पूर्ण किया जाना है और इसके लिए DoIT द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। इस संबंध में पूर्व में भी दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं और वर्तमान में श्री नवीन जैन, शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उक्त कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे।

राजस्थान सरकार इस कार्यक्रम को प्राथमिकता से ले रही है, इसीलिये आप जिला रसद अधिकारियों एवं संबंधित बीएलओ के माध्यम से समस्त लाभार्थियों के आधार नम्बर राशन कार्ड के साथ सीडिंग करें तथा आधार नम्बर सत्यापित करने हेतु अभियान रूप में इस कार्य को सम्पादित करावें।

इसे अति आवश्यक समझा जावें।

(निरंजन कुमार आर्य)
मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ6( )/कम्प्यूटर/पोस पार्ट–1/2018–19 दिनांक 09.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एनआईसी),खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. जिला रसद अधिकारी, समस्त राजस्थान।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त
खाद्य विभाग